प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित अरविन्द कुमार पोसवाल आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 95/**2023** (अपील सूचना का अधिकार)

मोहम्मद अनीस मन्सूरी पुत्र मोइनुद्दीन मन्सूरी पताः 4/2955, बी–ब्लॉक, मस्जिद के पास, शास्त्री सर्कल, उदयपुर

..............अपीलार्थी

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार गिर्वा, उदयपुर (राज.)

..................प्रत्यर्थी

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 18/09/2023

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील ऑनलाईन क्रमांक 329240859640336 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र दिनांक 30.06.2023 को प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध नही करायी जाने से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाईन पत्र क्रमांक 3982755750 दिनांक 23.08.2023 एवं कार्यालय के पत्रांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/95/23/2023/1094–95 दिनांक 23.08.2023 से लिखा गया जिसकी पालना में प्रत्यर्थी द्वारा जरिये पत्रांक भू.अ. /प्रथमअपीलसूअ/2005/2023/1910 दिनांक 12.09.2023 से कार्यालय को अवगत कराया कि प्रार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनमय 2005 के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील 37/23, 91/23 से 99/23 मोहम्मद अनीस बनाम तहसीलदार गिर्वा में प्रार्थी भारत से बाहर सउदी अरबिया में रहता है। प्रार्थी के पिता मोईनुद्दीन मंसूरी से वार्ता कर इस कार्यालय में उपलब्ध वांछित दस्तावेज नियमानुसार उपलब्ध कराते हुए प्रार्थी के पिता द्वारा इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसकी प्रति संलग्न है। उक्त प्रार्थना पत्र अनुसार प्रार्थी के पिता द्वारा समस्त अपील खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया एवं सहमति जाहिर की है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 37/23, 91/23 से 99/23 निरस्त फरमाने की कृपा करावे।

पत्रावली का अवलोकन क़िया गया। प्रकरण में प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी द्वारा अपने कार्यालय के पत्रांक भू.अ./सूअ/2005/2023/1906 दिनांक 11.09.2023 से जरिये रजिस्टर्ड डाक प्रेषित की जा चुकी है। साथ ही अपीलार्थी के पिता श्री मोइनुद्दीन मन्सूरी द्वारा तहसील कार्यालय गिर्वा में उपस्थित होकर प्रथम अपील को निरस्त कराने हेतु निवेदन किया गया है।

चूंकि प्रकरण में प्रत्यर्थी द्वारा जरिये पत्रांक 1906 दिनांक 11.09.2023 से अपीलार्थी को सूचना प्रेषित की जा चुकी है एवं अपीलार्थी के पिता श्री मोइनुद्दीन मन्सूरी द्वारा प्रथम अपील

जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

को निरस्त कराने हेतु निवेदन किया गया है। ऐसी स्थित में प्रथम अपील में अन्यथा कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रह जाने से अपील अपीलार्थी निरस्त की जाती है।

निर्णय की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार गिर्वा एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ प्रेषित की जावें।

प्रकरण फैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दफ्तर दाखिल हो।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
प्रथम अपीलीय अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि.
एवं जिला कलक्टर, उदयपुर